न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर (**RAS**)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
95/2020	21.10.2020	07.09.2022

// अनुवान //

1. किशोरी पुत्र श्री भौरेलाल
2. राधेश्याम पुत्र श्री भौरेलाल
3. बीना देवी पत्नि श्री रोशन
4. संदीप कुमार पुत्र श्री रोशन
5. अशोक कुमार पुत्र श्री रोशन
6. महेश कुमार पुत्र श्री रोशन
7. रचना पुत्री श्री रोशन
8. मामचन्द पुत्र श्री बसन्ता
9. मनोहर पुत्र श्री बसन्ता
10. लेखराम पुत्र रूडिया
11. मीरा पुत्री रूडिया
12. रेखा पुत्री रूडिया
13. पूनम पुत्री रूडिया
14. पिंकी पुत्री रूडिया
15. गिन्दो देवी पत्नी श्री रूडिया
16. खेमचन्द पुत्र श्री चितरू
17. सत्यनारायण पुत्र श्री चितरू
18. राजेन्द्र पुत्र श्री चितरू
19. मनीराम पुत्र श्री नत्थू
20. रामसिक पुत्र श्री नत्थू जातियान ब्राह्मण निवासीयान पेहल तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
21. नीलम देवी पत्नी श्री कालूराम जाति जाट निवासी खैराल तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0।

वादीगण

बनाम

1. गीता देवी पत्नी श्री लीलाराम
2. नानकराम पुत्र श्री लीलाराम
3. प्रभु पुत्र श्री लीलाराम ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर जिल[illegible] राज0।
4. रामावतार पुत्र श्री रामकुवार शर्मा जाति ब्राह्मण [illegible] पेहल तह[illegible] मुण्ड[illegible] जिला अलवर राजस्थान हाल निवासी दिहोली तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
5. लैण्ड होल्डर जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:57:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

6. फूलसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह जाति जाट निवासी टीकरी तहसील गुडगांवा।
7. अमरसिंह पुत्र श्री हरिसिंह
8. भागमल पुत्र श्री हरिसिंह जाति जाट निवासी रूंध तहसील बावल हरियाणा।
9. मीरसिंह पुत्र श्री फूसाराम जाति जाट निवासी मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर
10. चुन्ना पुत्र श्री घीसा जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तहसील मुण्डावर
11. शेरसिंह पुत्र श्री दोला
12. राजबाला पत्नी श्री रोहिताश
13. संतोष पत्नी श्री शीशराम
14. भुतेरी पत्नी श्री रोहिताश जाति जाट निवासी कालीपहाडी तहसील मुण्डावर
15. दुलीचन्द पुत्र श्री ख्याली जाति जाट नि0 कालीपहाडी त0 मुण्डावर
16. जयप्रकाश पुत्र श्री रणवीरसिंह जाति अहीर नि0 पलडा तह0 गुडगांवा
17. प्रेमलता पत्नी श्री श्योराम जाति ब्राह्मण निवासी पेहल तह0 मुण्डावर

दावा— दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88

राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थितिः— श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव वकील वादीगण।

आदेश

दिनांक 07.09.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई वकील वादीगण उपस्थित आए। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0 ख0 नं0 92/0.46, 97/1.26, 104/0.38, 95/1.15, 111/1.23, 112/1.39, 96/0.04, 118/1.43, 98/1.37, 114/0.86, 99/0.87 है0 वाके ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलाएगी। वादपत्र में सजरा पेश करते हुए अंकित किया कि विवादित आराजी हम वादीगण की मुताबिक जमाबन्दी दर्ज होकर हम हिस्सेनुसार काबिज काश्त है कोई विवाद नहीं है। उक्त आराजियात में हम वादीगण के पिता भौरेलाल, नत्थूराम, बसन्ता, पि0 तिरखा 3/4 व रामावतार, ब्रह्मदत्त पुत्रान रामकुमार 1/4 भाग ब्राह्मण खातेदार मिसल हकियत सम्वत् 2015 दर्ज रिकॉर्ड है जो सही है परन्तु सम्वत् 2018 की जमाबन्दी बनाते समय बकाश्त भौरेलाला 1/2 रामावतार 1/2 मजकुरान गलत दर्ज कर दिया इसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2022 बनाते समय खातेदारों की एन्ट्री के पश्चात् भौरेलाल 1/2 व रामौतार 1/2 मजकूरान गलत दर्ज कर दिया तथा इसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2022 बनाते समय आराजियात में खातेदारों की एंट्री के पश्चात् भौरेलाल 1/2 बजात खातेदार 1/3 व निज बहैसियत उपकृषक 2/3 दर 1/2 साल 5 रामवतार बजात खातेदार 1/4 व निज हैसियत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल साढे चार साल गलत दर्ज कर दिया तथा उक्त [illegible] इन्द्राज अपभ्रंष होते–होते वर्तमान हाल जमाबन्दी में लीलाराम वगैरह मजकूर बाकश्त लीलाराम बजात खातेदार 1/3 [illegible] बहैसियत उपकृषक 2/3 दर 1/2 साल 37 रामवतार बजात हिस्सा खातेदार 1/4 [illegible] 1/2 साल साढे 37 इन्द्राजात गलत दर्ज चले आ रहे है जो काबिल दुरूस्त है [illegible] हो चुकी है तथा सोना देवी पत्नी बसन्ता जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा है वह फौत हो चुकी है जिसके वारिसान रिकॉर्ड पर दर्ज है कि विवादित आराजियात में अंकित करते हुए वाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जाया कि विवादित आराजियात में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:57:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

खातेदारों के इन्द्राजात के पश्चात् लीलाराम वगैरह मजकूर बकाश्त से लगातार बनीत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल 37, रामवतार बकाश्त हिस्सा खातेदार 1/4 बनीत बहैसियत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल साढे 37 तक के इन्द्राजात को दुरूस्त फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधीवत तलबी प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रतिवादीगण 01 ल0 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं जवाब पेरोकार सरकार पेश हुआ। मुताबिक जवाब पेरोकार के जिमनवार बाबत् आराजी का होना, सजरा, जमाबन्दीयात पेश किए जाने का होना व कानूनी, क्षेत्राधिकार, कोर्ट फीस के बाबत् का अंकित करते हुए अवलोकनार्थ जमाबन्दी अंकित करते हुए पेश है।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल बन्दोबस्त सम्वत् 2015 किता–3 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् किता–2 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2022 किता–4 प्रदर्श–3 एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 किता–6 प्रदर्श–4 पेश किए एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र मामचन्द पी0 डब्ल्यू–1, प्रभु पी0 डब्ल्यू–2 एवं शीशराम पेश किए जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस अंतिम सुनी गई। वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए दौराने मौखिक बहस वकील वादीगण ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया की वादीगण की आराजी मुताबिक जमाबन्दी दर्ज होकर हिस्सेनुसार काबिज काश्त है कोई विवाद नहीं है। उक्त आराजियात में वादीगण के पिता भौरेलाल, नत्थूराम, बसन्ता, पि0 तिरखा 3/4 व रामावतार, ब्रह्मदत्त पुत्रान रामकुमार 1/4 भाग ब्राह्मण खातेदार का अंकन मिसल हकियत सम्वत् 2015 दर्ज रिकॉर्ड है जो सही है परन्तु सम्वत् 2018 की जमाबन्दी बनाते समय बकाश्त भौरेलाला 1/2 रामावतार 1/2 मजकुरान गलत दर्ज कर दिया इसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2022 बनाते समय भी खातेदारों की एन्ट्री के पश्चात् भौरेलाल 1/2 व रामौतार 1/2 मजकूरान गलत दर्ज कर दिया तथा इसके पश्चात् जमाबन्दी सम्वत् 2022 बनाते समय आराजियात में खातेदारों की एंट्री के पश्चात् भौरेलाल 1/2 बजात खातेदार 1/3 व निज बहैसियत उपकृषक 2/3 दर 1/2 साल 5, रामवतार बजात खातेदार 1/4 व निज हैसियत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल साढे चार साल गलत दर्ज कर दिया तथा उक्त गलत इंदराज अपभ्रंष होते–होते वर्तमान हाल जमाबन्दी में लीलाराम वगैरह मजकूर बाकश्त लीलाराम बजात खातेदार 1/3 बनीत बहैसियत उपकृषक 2/3 दर 1/2 साल 37 रामवतार बजात हिस्सा खातेदार 1/4 बनीत बहैसियत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल साढे 37 इन्द्राजात गलत दर्ज चले आ रहे है जो काबिल दुरूस्त है जिस हेतु वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप प्रदर्श–1 ल0 04 पेश किए है साथ ही मौखिक साक्ष्य स्वरूप भी शपथपत्र पी0 डब्ल्यू–1, 2, 3 भी पेश किए है जो शामिल पत्रावली है। जिसके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल बन्दोबस्त सम्वत् 2015 अनुसार वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बाबत् विवादित आराजियात के रिकॉर्ड में मुताबिक हाल जमाबन्दी इन्द्राजात के पश्चात् लीलाराम वगैरह मजकूर बकाश्त से लगातार बनीत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल 37, रामवतार बकाश्त हिस्सा खातेदार 1/4 बनीत बहैसियत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल साढे 37 के बाबत् का किसी भी प्रकार का कोई अंकन नहीं है निवेदन करते हुए सूरजी पुत्री नत्थू लावल्द फौत हो चुकी है तथा सोना देवी पत्नी बसन्ता जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो रहा है वह फौत हो चुकी है जिसके वारिसान रिकॉर्ड पर दर्ज है निवेदन करते हुए वाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का विवादित आराजियात में खातेदारों के इन्[illegible] पश्चात् लीलाराम वगैरह मजकूर बकाश्त से लगातार बनीत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल 37, रामवतार ब[illegible]त हि[illegible] खातेदार 1/4 बनीत बहैसियत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल साढे 37 के बाबत् के [illegible] रिकॉर्ड में इन्द्राजात को दुरूस्त किया जाकर वादी वादीगण डिक्री किए जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:57:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

वकील वादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत वादीगण द्वारा उपरोक्तानुसार अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये की स्थिति में वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार्य योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के हाल आ0 ख0 नं0 92/0.46, 97/1.26, 104/0.38, 95/1.15, 111/1.23, 112/1.39, 96/0.04, 118/1.43, 98/1.37, 114/0.86, 99/0.87 है0 वाके ग्राम पेहल तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत् वादीगण द्वारा सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने परं वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे खातेदारों के इन्द्राजात के पश्चात् लीलाराम वगैरह मजकूर बकाश्त से लगातार बनीत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल 37, रामवतार बकाश्त हिस्सा खातेदार 1/4 बनीत बहैसियत उपकृषक 1/4 दर 1/2 साल साढे 37 के बाबत् के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

07-09-2022

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:57:44 IST
Reason: SelfAttested